मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 66400/97

मध्य प्रदेश में सामने आ गया हिंदू और हिंदुत्व के बीच का टकराव 3
मंहगाई को लेकर कांग्रेस सेवा दल का सरकार के विरोध में प्रदर्शन 4
न्यायपालिका के पतन में अब क्या बाकी रह गया ? 5
किसी व्यक्ति को एक ही कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री होना चाहिए 6
किसान आन्दोलन से सबक लेकर भाजपाई वोट बैंक खिसका 8

वर्ष 36 | अंक 06 | फरीदाबाद | 19-25 दिसम्बर 2021 | फोन-8851091460 | 3.00 ₹

निगम प्रशासन की नीयत साफ लगती है

नागरिक कब्जा हटाओ अभियान में सहयोग कर रहे हैं

फ़रीदाबाद (म.मो.) नगर निगम प्रशासन ने बीते सप्ताह बजारों व गलियों से अवैध कब्जे हटाने का आदेश पूरी सख्ती व सही नीयत से दिया तो लोगों ने स्वत: कब्जे हटाने शुरू कर दिये। न केवल बाजारों से बल्कि गली-मुहल्लों में स्थित मकानों के सामने लगी ग्रिलें व सीमेंट की उन चादरों को भी हटा लिया जिनसे सड़क को घेरा गया था। इसके लिये नगर निगम को न तो किसी बुल्डोजर की जरूरत पड़ी और न ही लेबर का खर्चा उठाना पड़ा, पुलिस की जरूरत भी नहीं पड़ी।

'मज़दूर मोर्चा' लगातार लिखता रहा है कि 60-60 फ़ीट चौड़ी सड़कें मात्र 20-20 फ़ीट की, केवल इसलिये होकर रह गई कि दुकानदारों व रिहायशी घरों ने सड़कों को अवैध रूप से घेर लिया है। इस तरह के अवैध घेराव के चलते न तो पैदल चलने वालों के लिये फुटपाथ बचे और न ही साइकिल चलाना सुरक्षित रहा। पूरे शहर में हर समय जहां-तहां जाम की स्थिति बनी रहती है। प्रशासन 'कार मुक्त' दिवस मनाने की बात तो करता है परन्तु पैदल चलने व साइकिल चलाने के लिये, सड़कों पर जगह नहीं दिला पा रहा। यदि साइकलिंग सुरक्षित हो जाये तो अनेकों लोग मोटर वाहन की बजाय साइकिल चलाना पसंद कर सकते हैं। अब तक देखने में यह आता रहा है कि कभी कभार जब किसी प्रशासनिक अधिकारी की नींद खुलती है तो अवैध कब्ज़े हटाने के नाम पर पुलिस की सहायता से दो-चार दिन तोड़-फ़ोड़ अभियान चलाकर प्रशासन सो जाता है।

एनएच-2 की दुकान के बाहर सड़क पर बिकने को खडे दुपहिया, अन्य दुकानों को भी सड़क घेरने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

प्रशासन का यह कार्य ठीक ऐसा लगता है जैसे कि तोड़-फ़ोड़ के जरिये वह जनता को अपनी शक्ति का अहसास कराना चाहता है। यह अहसास कराने के बाद प्रशासन फ़िर से लुप्त हो ताता है। ऐसे में उस पर रिश्वतखोरी का आरोप लगना निश्चित ही है। यदि प्रशासन यह तय कर ले कि उसे तमाम कायदे कानून एवं नियमों का पालन कराना ही है तो यह कोई कठिन काम नहीं है। यह तो प्रशासन का ढुल-मुल रवैया ही है जिससे लोग सड़कों पर अवेध कब्ज़े करने के लिये प्रेरित होते हैं, वरना अधिकांश नागरिक कानून कायदों का पालन करना ही चाहते हैं।

अब देखना यह है कि निगम प्रशासन अपनी नीति पर कब तक कायम रह पाता है। प्रशासन की नीयत यदि साफ़ है और वह बिना किसी भेद-भाव एवं पक्ष-पात के अपने बनाये कानून कायदों का ठीक से पालन कराता है तो कोई भी नागरिक उनको तोड़ता नहीं। होता दरअसल यह है कि जब कोई एक नागरिक कायदे-कानूनों का उल्लंघन और प्रशासन उसे अनदेखा करता है तो उसके अन्य पड़ोसी भी प्रेरित होकर वही काम करने लगते हैं।

यदि प्रशासन उल्लंघन करने वाले पहले नागरिक पर ही ईमानदारी से पूरी सख्ती कर दें तो अन्य लोगों को उल्लंघन करने का साहस नहीं हो पायेगा। जाहिर है ऐसे में तमाम शहरवासियों को अपनी सड़कों पर बेहतर एवं सुरक्षित यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी।

रेहड़ी मार्केट की अनिवार्यता पर निगम ध्यान दे

निगम प्रशासन सड़कों से अवैध कब्जे हटा कर नि:संदेह एक बढ़िया जनउपयोगी एवं सराहनीय कार्य कर रहा है। लेकिन उसे रेहड़ी लगाने वालों के मामले को गम्भीरता से लेना होगा, अन्यथा उनके इस अभियान में बाधा उत्पन्न हो सकती है। रेहड़ी का मसला केवल रेहड़ी लगाने वाले तक ही सीमित नहीं है, इससे वे तमाम लोग भी जुड़े हैं जो रेहड़ियों से ही सामान खरीदते हैं। समझने वाली बात यह है कि करोड़ों रुपये की दुकान में बैठ कर घिया, तोरी, आलू, प्याज, केला, पपीता, मूंगफ़ली आदि तो नहीं बेची जा सकती। आर्थिक रूप से यह असम्भव है। यह कारोबार तो केवल रेहड़ी-पटरी आदि के द्वारा ही हो सकता है। इसी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए न केवल चंडीगढ़ जैसे साफ़-सुथरे शहर में बाकायदा अलग से रेहड़ी मार्केट बनाई गई है बल्कि लंदन व एम्सट्रडम जैसे यूरोपीयन शहरों में भी रेहड़ी मार्केट की व्यवस्था की गई है। निगम प्रशासन को भी इस हकीकत का संज्ञान लेते हुए जहां-तहां रेहड़ी मार्केट की व्यवस्था करनी चाहिये।

पर्यावरण की बलि-वेदी पर शहर का कारोबार

फ़रीदाबाद (म.मो.) वायु-प्रदूषण के लगातार बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के नाम पर पिछले कई सप्ताहों से शहर की सैंकड़ों फैक्ट्रियों को बंद करा दिया गया है। अनेकों के ऊपर सप्ताह में केवल पांच दिन व दिन में केवल आठ घंटे तक चलाने की पावंदी लगा दी गई है। जाहिर है कि इसका सीधा असर, पहले से ही महंगाई व बेरोजगारी की मार झेलते लाखों मज़दूरों पर तो पड़ेगा ही, उद्योगपति भी भारी घाटा सहने को मज़बूर होंगे। देश भर की सिरिंज खपत का दो तिहाई भाग का उत्पादन करने वाली एचएमडी कम्पनी को भी बंद करा दिया गया है। इस पर आरोप है कि डीजल जनरेटर सेट का इस्तेमाल करते हैं। यदि सरकार बिजली की आपूर्ति सही ढंग से करती रहे तो किसी को जनरेटर सेट चलाने का शौक नहीं है।

जब सिरिंज का उत्पादन ही बंद हो जायेगा तो देश भर में चलाये जा रहे टीका करण अभियान का क्या होगा? टीकाकरण अभियान के अलावा भी देश भर के अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली सिरिंज का जब अकाल पड़ेगा तब शासक वर्ग की नींद टूटेगी और हाथ-पांव फूलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे बीते दिनों ऑक्सीजन की कमी के चलते हजारों लोगों की जान चली गई थी।

निसंदेह प्रदूषण पर नियंत्रण करना तो बहुत जरूरी है लेकिन शासन-प्रशासन की आंख तभी क्यों खुलती है जब पानी सिर से ऊपर निकल जाता है? यह वायु प्रदूषण कोईएक दिन में यकायक नहीं बढ़ गया है, बीते कई वर्षों से बढ़ता आ रहा है। नवम्बर के महीने में, प्रति वर्ष, प्रदूषण का दंश जब हद से ज्यादा चुभने लगता है, केवल तब ही प्रशासन हरकत में क्यों आता है और वह भी सुप्रीम कोर्ट की झाड़-फ़टकार के बाद ही? करीब 20-25 दिन तो पराली जलाने के नाम पर सारी तोहमत किसानों के सर मंढते रहते हैं। उसके बाद अब उद्योगों के पीछे लठ लिये घूम रहे हैं। भवन-निर्माण प्रक्रिया के दौरान प्रदूषण नियंत्रण के जो उपाय शासन को अब सूझ रहें हैं, उन्हें स्थाई तौर पर लागू क्यों नहीं कराया जाता?

आज के दिन इस शहर में सबसे बड़े वायु-प्रदूषक नगर निगम, स्मार्ट सिटी कम्पनी लिमिटेड व 'हूडा' आदि हैं। ये तमाम सरकारी महकमे हैं। इनमें पीडब्लूडी को भी जोड़ा जा सकता है। ये तमाम महकमे यातायात के लिये उचित एवं साफ-सुथरी सड़कें बनाने के लिये उत्तरदायी हैं। इनकी लापरवाही, इनमें व्याप्त हरामखोरी व रिश्वतखोरी के चलते सड़कों की इतनी भयंकर दुर्दशा हो चुकी है कि शहर भर में धूल के गुबार छाये रहते हैं।

धूल के ये कण टेलकम पाउडर जैसे महीन होने के चलते हवा में इस कदर घुल-मिल जाते हैं कि बिना बरसात के ये हवा से निकल ही नहीं सकते। धूल के ये कण सांस के जरिये फेफ़ड़ों में जाकर इस कदर जम जाते हैं कि कोई दवाई इन्हें बाहर नहीं निकाल सकती।

टूटी सड़कों व अन्य कारणों से लगने वाले वाहनों के जाम से धुंआ वायु मंडल में समाता रहता है वह तो कोढ में खाज के समान है। शहर में सड़कों की दुर्दशा कोई आज यकायक नहीं हो गई है, यह सदैव ही बनी रहती है। तमाम सड़कों के साथ जो कच्ची एवं रेतीली जगह रहती है उससे भी धूल का उड़ते रहना स्वाभाविक है। इसकी ओर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। पर्यावरण के इस महासंकट के दौरान सड़कों पर पानी छिड़काव की बात की जा रही है। नगर निगम प्रति दिन दावा करता है कि उसने सैंकड़ों ट्रैक्टर टैंकर इस काम पर लगा रखें हैं। लगा रखें होंगे, ट्रैक्टर गिनने की जरूरत नहीं है, देखने की बात तो केवल इतनी भर है कि हवा में धूल कितनी उड़ रही है। जितनी भारी-भरकम बिलिंग पानी छिड़काव के नाम पर बनाई जा रही है, यदि उसे सड़कों को दुरुस्त करने पर लगाते तो समस्या का कोई स्थाई समाधान हो पाता। लेकिन इतनी समझदारी तो कहीं नज़र आती नहीं।

शेष पेज दो पर

जनरेटर चलाने की मजबूरी

करोड़ों रुपये का डीजल जनरेटर सेट खरीदकर, उसमें 90 रुपये लीटर का डीजल डाल कर चलाना कोई मुनाफ़े का धंधा नहीं हो सकता। इसे लगाना व चलाना उद्योगपतियों की मज़बूरी है। हरियाणा सरकार के बेलगाम व गैरजिम्मेदार बिजली विभाग की मनमानी के चलते ही उद्योगपतियों को जनरेटर सेट लगाने पड़ते हैं।

गौरतलब है कि कोई भी उद्योगपति उत्पादन के लिये जनरेटर सेट की अति महंगी बिजली का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका इस्तेमाल तो केवल तब करना पड़ता है जब यकायक बिजली ठप्प हो जाये। बिजली विभाग को इस बात से कोई लेना-देना नहीं कि किसी कारखाने में उत्पादन प्रक्रिया किस स्थिति में है। करखानों में कई मशीनें एवं उत्पादन प्रक्रिया ऐसी होती है जिसमें आवश्यक तापमान बना कर रखना होता है। इसके न बनाए रखने पर कोई भयंकर दुर्घटना भी हो सकती है। प्लास्टिक एवं रबड़ फैक्ट्रियों में अचानक बिजली जाने पर जनरेटर की सहायता से गर्म माल को मशीनों से निकालने के लिये जनरेटर का चलाना अति आवश्यक होता है। पर्यावरण विभाग जनरेटर चलाने वालों पर तो जुर्माना थोप देता है, लेकिन बिजली महकमे को पूछने की औकात नहीं रखता। यदि पर्यावरण विभाग अथवा सरकार बिजली सप्लाई को सुनिश्चित कर दे तो जनरेटर चलाने की जरूरत ही न पड़े।